संलग्न प्रारूपः

1. रैगिंग रोकथाम हेतु **छात्र का आश्वासन** प्रपत्र (अनुलग्नक 2)
2. रैगिंग रोकथाम हेतु **माता–पिता/अभिभावक द्वारा दी गई प्रतिबद्धता** प्रपत्र (अनुलग्नक 3)
3. छात्रावास के नियमों के पालन हेतु **छात्र व अभिभावक का घोषणा पत्र** (अनुलग्नक 4)

अनुलग्नक 2

छात्र का आश्वासन

1. मैं .... (प्रवेश/पंजीकरण/नामांकन संख्या के साथ ही छात्र का पूरा नाम) सुपुत्र/सुपुत्री श्री/श्रीमती/सुश्री ....
जिसे ....(संस्थान का) नाम में प्रवेश दिया गया है, उसने उच्च शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण संबंधी यूजीसी विनियमों, 2009 की एक प्रति प्राप्त की है (जो इससे आगे से *विनियम* कहलायेंगे) तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर पूरी तरह समझ लिया है.

2. मैंने, विशेष रूप से इन विनियमों की धारा 3 को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथा मुझे इस बात का संज्ञान है कि रैगिंग में कौन कौन सी बातें सम्मिलित हैं.

3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 को भी विशेष रूप से पढ़ा है तथा मैं उस दंडात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई के विषय में पूरी तरह से सचेत हूँ जो मेरे विरूद्ध लागू की जा सकती हैं यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देने के लिए दोषी पाया जाता हूँ अथवा रैगिंग को सक्रिय अथवा छिपे तौर से प्रोत्साहित करने अथवा इस विषय में षडयंत्र करने का दोषी पाया जाता हूँ.

4. मैं एतद् द्वारा सत्यनिष्ट रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आश्वासन देता/देती हूँ कि
   i). मैं ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होऊंगा/होउंगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के तहत रैगिंग माना जाए.
   ii). मैं ऐसे किसी आचरण अथवा अनाचरण के काम में न तो भाग लूँगा/लूंगी, न ही उसके षडयंत्र में अथवा उसके प्रोत्साहन में शामिल होऊंगा/होउंगी जिस कृत्य को इन विनियमों की धारा 3 के तहत रैगिंग के रूप में माना गया हो.

5. मैं, एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि मैं दोषी पाया जाता हूँ तो इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार, इनसे बिना पूर्वाग्रह, मैं दंड के लिए तथा ऐसी दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ जो कि अन्य किसी आपराधिक मामले के प्रति किसी चालू दंडात्मक अथवा किसी कानून के अनुसार मेरे विरुद्ध की जा सकती है.

6. मैं घोषित करता/करती हूँ कि इस देश के किसी भी संस्थान ने, मुझे रैगिंग के षडयंत्र में अथवा इसे प्रोत्साहित करने, इसको भड़काने में अथवा इसमें भाग लेने के मामले में दोषी पाए जाने पर ना तो निष्काषित किया है, ना ही प्रवेश से बाधित किया है– और मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि यदि की गई ये घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे पूरी जानकारी है कि मेरा प्रवेश निरस्त करने का उत्तरदायित्व मुझ पर होगा.

घोषित किया गया............ दिन ....माह.............वर्ष .... शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान में सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई है और ना ही अयथार्थ कही गई है.

घोषित किया गया............ दिन ....माह.............वर्ष .... शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

अनुलग्नक 3

माता–पिता/अभिभावक द्वारा दी गई प्रतिबद्धता

1. श्री/श्रीमती/सुश्री .... (माता पिता/अभिभावक का पूरा नाम छात्र का पूरा नाम, उसके प्रवेश/पंजीकरण/नामांकन संख्या) के पिता–माता/अभिभावक, जिसके छात्र को ....(संस्थान का) नाम में प्रवेश दिया गया है, इसने उच्च शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण लगाने से संबद्ध यूजीसी विनियमों, 2009 (जो आगे से *विनियम* के नाम से कहलायेंगे) को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को पूरी तरह समझ लिया है.

2. मैंने, विशिष्ट रूप से इन विनियमों का अवलोकन किया है तथा मुझे इस बात की जानकारी है कि रैगिंग में क्या बात शामिल है.

3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 का भी विशेष रूप अध्ययन किया है तथा मैं पूरी तरह से जागरूक हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की अथवा रैगिंग में सहायक होने की सक्रिय अथवा छिपे तौर से दोषी पाया/पाई जाती है अथवा रैगिंग को बढ़ावा देने के षड़यंत्र का एक हिस्सा होता/होती है तो उस स्थिति में उसके विरुद्ध जिस दंडात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई का वह भागीदार होगा/होगी, वह मेरे संज्ञान में है.

4. मैं एतद् द्वारा सत्यनिष्ट रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आश्वासन देता/देती हूँ कि
   i). मेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होगी जिसे विनियमों की धारा 3 के तहत रैगिंग माना गया है.
   ii). मेरी संतान जान बूझकर अथवा भूलचूक से ऐसे किसी कृत्य में न तो संलिप्त होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगी ना ही उसे प्रोत्साहित करेगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के तहत रैगिंग के रूप में माना गया हो.

5. एतद् द्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की दोषी पाई जाती है तो वह इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार दंड का भागीदार होगा/होगी जो कि किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के बिना होगा–तथा जो दंड मेरी संतान के विरुद्ध किसी भी दंड संबंधी कानून के अथवा वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अनुसार होगा.

6. एतद् द्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान इस देश में विद्यमान किसी भी संस्थान द्वारा रैगिंग की दोषी अथवा उसमे सहायक होने की अथवा षड़यंत्र का एक हिस्से के रूप में दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष के कारण निष्कासित नहीं हुई है/हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा.

घोषित किया गया............ दिन ....माह.............वर्ष .... शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान में सर्वांगीणरूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई है और ना ही अयथार्थ कही गई है.

घोषित किया गया............ दिन ....माह.............वर्ष .... शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

अनुलग्नक 4

छात्र व अभिभावक का घोषणा पत्र

मैंने निम्नलिखित समस्त नियमो और उपनियमों की एक प्रति हासिल कर सावधानी पूर्वक पढ़कर समझ लिया है.

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक 5)
2. छात्रावास सूचना पुस्तिका

मैं उपर्युक्त समस्त नियमोंध्उपनियमो का पूर्ण पालन करने का वचन देता/देती हूँ. मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त जानकारी सत्य है. मैं यह जानता हूँ/जानती हूँ कि उपर्युक्त में से किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर मेरे निलंबन अथवा निष्कासन की अनुशासनात्मक कार्रवाई छात्रावास/संस्थान प्रशासन द्वारा की जाएगी.

छात्र के हस्ताक्षर

नाम......................

पता......................

मोबाइल नंबर...........

मैंने तथा मेरे पाल्य/पुत्र/पुत्री ने निम्नलिखित समस्त नियमो और उपनियमों की एक प्रति हासिल कर सावधानी पूर्वक पढ़कर समझ ली है. मेरे पाल्य/पुत्र/पुत्री द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त जानकारी सत्य है. मैं यह जानता हूँ/जानती हूँ कि उपरोक्त में से किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर मेरे पाल्य/ पुत्र/पुत्री के निलंबन अथवा निष्कासन की अनुशासनात्मक कार्रवाई छात्रावास/संस्थान प्रशासन द्वारा की जाएगी.

माता / पिता/पालक के हस्ताक्षर

नाम......................

पता......................

मोबाइल नंबर...........